

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.20(2)गृह-9/88

जयपुर, दिनांक: 20-12-2011

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार की यह राय है कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में चिकित्सकों द्वारा सामूहिक अवकाश लेने एवं त्याग पत्र दिये जाने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप जनसमुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को एतद्वारा अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है। यह आदेश आगामी तीन माह तक प्रभावी रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

- s.d. -


(भीवां राम चौधरी)

शासन उप सचिव,

गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट्स, राजस्थान।
8. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज/पुलिस आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला पुलिस उपायुक्त/अधीक्षक, राजस्थान।
10. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
11. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को उक्त अधिसूचना आज ही दिनांक 20.12.2011 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
12. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था करावें।
13. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव,

गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग